



अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़ द्वान्सपोर्ट नगर योजना

पंजीकरण दिनांक- 30-03-2023 से 30-04-2023 तक

नियोनित शहर-हमारा लक्ष्य

मूल्य- 100 ₹

Website : www.adaaligarh.in E-mail ID : ada1981@rediffmail.com
Mobile : 8449708903, 8077688158 Phone : 0571-2740682

DEFENCE CORRIDOR ALIGARH



RAJA MAHENDRA PRATAP SINGH STATE UNIVERSITY





विशेषताएँ :—

- योजना राजकीय मार्ग—22 A अलीगढ़—खैर, पलवल मेन रोड पर NH-91 के जंकशन के पास प्राइम लोकेशन पर स्थित है।
- योजना अलीगढ़ मुख्य बस स्टैण्ड से मात्र 10 किमी0 की दूरी पर स्थित है।
- योजना अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर से 60 किमी0 की दूरी पर स्थित है।
- योजना राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के समीप है।
- योजना डिफेन्स कॉरिडोर के समीप है।
- योजना बाउण्ड्रीवाल से सुरक्षित किया जाना एवं योजना में सुरक्षा की दृष्टि से सी.सी.टी.वी. कैमरा की व्यवस्था रखा जाना प्रस्तावित है।
- योजना में बहुतायत में पार्किंग एवं हरित क्षेत्रों का प्राविधान किया गया है।
- योजना में व्यवसायिक, सामुदायिक, बैंक, कार्यालय, भण्डार गृह, पैट्रोल पम्प, होटल, रेस्टोरेन्ट आदि की सुविधाओं के लिये पर्याप्त मात्रा में भूखण्ड उपलब्ध हैं।
- विशेषज्ञ नियोजन टीम द्वारा योजना का आधुनिक तरीके से नियोजन किया गया है।
- हरा—भरा एवं प्रदूषण रहित वातावरण, वर्षा जल संचयन की सुविधा।
- योजना में भारी एवं हल्के वाहनों के पार्किंग हेतु नियोजित पार्किंग का प्रावधान किया गया है।
- योजना अलीगढ़ के अति विशिष्ट एवं तेजी से विकसित होने वाले क्षेत्र में स्थित है।
- जेवर मुख्य कार्गो हब होने के कारण एवं डिफेन्स कॉरिडोर के निकट तथा जी0टी0 रोड के जंकशन के समीप होने के कारण योजना अत्यन्त महत्वाकांक्षी है।





अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़ ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में आवेदन हेतु नियम व शर्तें

1. योजना का नाम : ट्रान्सपोर्ट नगर योजना फेस—। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की “ट्रान्सपोर्ट नगर योजना” में विभिन्न प्रकार के भूखण्डों के आवंटन हेतु पंजीकरण।
2. योजना का कोड : TPN – 1001
3. योजना का विवरण :
 - 3.1 स्थिति : यह योजना अलीगढ़–पलवल मार्ग एवं NH 91 के जंक्शन के पास ल्हौसरा विसावन में मुख्य राज मार्ग पर स्थित है।
 - 3.2 भूखण्डों का प्रकार : इस योजना में विभिन्न उपयोगों एवं आकार व क्षेत्रफल के भूखण्ड उपलब्ध हैं। भूखण्डों का विवरण पृष्ठ सं०-10 के तालिका संख्या-01 में दिया गया है।
 - 3.3 भूखण्डों का क्षेत्रफल : भूखण्ड का अनुमानित क्षेत्रफल तालिका सं०-01, पृष्ठ सं०-10 के कॉलम सं०-03 में दर्शाया गया है।
 - 3.4 भूखण्डों की संख्या : भूखण्डों की अनुमानित संख्या का विवरण पृष्ठ सं०-10 पर तालिका संख्या-01 के कॉलम-04 में दर्शाया गया है। भूखण्डों की संख्या घट–बढ़ सकती है तथा भूखण्डों की संख्या में बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन किया जा सकता है।
 - 3.5 भूखण्ड का मूल्य : भूखण्ड का अनुमानित विक्रय मूल्य पृष्ठ सं०-10 पर तालिका सं० –01 के कॉलम सं०-06 में दर्शाया गया है। शासनादेश सं०-1762 /आठ- 1-16 समिति/98 दिनांक 18-06-2009 के अनुसार कार्नर की सम्पत्ति पर कुल मूल्य का 10% कार्नर चार्ज अतिरिक्त लिया जायेगा। पार्क फेसिंग या 18 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
 4. पात्रता :
 - 4.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।
 - 4.2 आवेदन करने की दिनांक पर आवेदक वयस्क हो तथा उसका एक विधिक व्यक्तित्व हो।
 - 4.3 आवेदक या उसके परिवार (परिवार से तात्पर्य शासन के आदेश संख्या-39 / 37-1-93 आवास अनुभाग-1 दिनांक 06-01-1992 के अनुसार आवेदक, उसके पति /पत्नी तथा अवयस्क बच्चों से है) को इस योजना में केवल एक

भूखण्ड प्राप्त करने का अधिकार होगा। यदि परिवार के कई सदस्यों द्वारा आवेदन करने पर उनके नाम एक से अधिक भूखण्ड आवंटित भूखण्ड हो जाते हैं तो 15 दिन में एक भूखण्ड से अतिरिक्त शेष भूखण्ड/भूखण्डों को परित्याग करने हेतु प्रार्थना पत्र देना होगा। अन्यथा प्राधिकरण के संज्ञान में आने पर प्राधिकरण द्वारा स्वेच्छा से एक के अतिरिक्त अन्य भूखण्ड/भूखण्डों का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

- 4.4 आवेदक या उसके परिवार (परिवार से तात्पर्य आवेदक, उसके पति /पत्नी तथा अवयस्क बच्चों से हैं) के पास पूर्व में लॉटरी द्वारा प्राप्त अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में अलीगढ़ के अन्तर्गत इस योजना में आवेदित उपयोग का भूखण्ड नहीं होना चाहिए।
- 4.5 नर्सिंग हॉम के भूखण्ड हेतु आवेदक का मैडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया अथवा स्टेट मैडिकल काउन्सिल से पंजीकृत होना आवश्यक होगा। मैडिकल सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से पंजीकृत कम्पनी भी नर्सिंग हॉम भूखण्ड के लिये आवेदन हेतु पात्र होगी।
- 4.6 पैट्रोल पम्प/सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन भूखण्ड हेतु आवेदक को अपने पक्ष में किसी पैट्रोलियम कम्पनी/सी.एन.जी. कम्पनी का लैटर ऑफ इन्टेरेट जमा करना अनिवार्य होगा।
5. आवेदन कैसे करें :

आवेदन ऑनलाइन भरे जा सकते हैं, ऑफ लाइन फार्म बिन्दु 5.5 उल्लिखित आई०सी० आई०सी०आई० बैंक शाखाओं एवं अलीगढ़ विकास प्राधिकरण कार्यालय में उपलब्ध होंगे।
- 5.1 आवेदन पत्र व विवरण पुस्तिका नियमों व शर्तों सहित दिनांक 30.03.2023 से दिनांक 30.04.2023 तक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिंग, अलीगढ़ से 100 ₹ के भुगतान पर प्राप्त की जा सकती है।
- 5.2 जो आवेदक ऑनलाइन आवेदन भरने में कठिनाई/असहजता अनुभव करते हैं उनके लिये आई०सी० आई०सी०आई० बैंक की सभी शाखाओं में एवं अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के कार्यालय में हैल्प डेस्कों की स्थापना



की जायेगी। ऐसी दशा में आवेदक को अपना ऑफलाइन फार्म भरकर, आवश्यक प्रपत्रों सहित वांछित पंजीकरण धनराशि एवं आवेदन शुल्क 400 ₹ की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट लेकर निकटतम हैल्प डेस्क पर कार्यालय समय में पहुँचना होगा तथा वन टाइम पासवर्ड (OTP) बताने पर हैल्प डेस्क पर उपस्थित रहना होगा। ऐसे आवेदकों को बैंक से विवरण पुस्तिका प्राप्त कर नियमों का अध्ययन करना आवश्यक होगा।

5.3 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें :

प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश :

- सर्व प्रथम आवेदक प्राधिकारण की वेबसाइट (www.adaaligarh.in) पर जाकर ट्रान्सपोर्ट नगर योजना से सम्बन्धित ब्रोशर डाउनलोड करें।
- इसके पश्चात् डाउनलोड ब्रोशर में नियम व शर्तों का अध्ययन करते हुए अपनी सुविधानुसार भूखण्ड श्रेणी का चयन करें।
- उठप्र० शासन की वेबसाइट (www.janhit.upda.in) पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म अलॉटमेंट पर विलक करें।
- इसके पश्चात् अलीगढ़ विकास प्राधिकरण का विकल्प पर विलक करें।
- इसके पश्चात् अपनी सूचनाओं के साथ आवेदक अपने नाम का अकाउन्ट बनाकर लॉग इन करें तथा अपने ऑनलाइन फॉर्म को पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- अपलोड हेतु आवश्यक कार्यवाही दस्तावेजों की सूची—
 - i. आवेदक का फोटो
 - ii. आवेदक के आधार कोर्ड की प्रति
 - iii. PAN कोर्ड की प्रति
 - iv. स्कैन किये हुए हस्ताक्षर
 - v. ₹ 10/- के स्टॉम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र कि वह भूखण्ड के मूल्य का भुगतान करने में सक्षम है।
 - vi. आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
 - vii. इसके पश्चात् आवेदन की निर्धारित पंजीकरण धनराशि, आवेदन शुल्क व पंजीकरण विवरण पुस्तिका शुल्क आदि का ऑनलाइन भुगतान करें।
- बिना वांछित पंजीकरण धनराशि व आवेदन शुल्क जमा

किये आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा।

5.4 ऑफलाइन फार्म भरकर ऑनलाइन आवेदन कैसे करें :

- बैंक से 100 ₹ के नगद भुगतान पर विवरण पुस्तिका निकटतम आई०सी०आई०सी०आई० बैंक की शाखा अथवा अलीगढ़ विकास प्राधिकरण कार्यालय की हैल्प डेस्क पर अथवा कम्प्यूटर सुविधा केन्द्र पहुँच कर ऑनलाइन करायें।
- ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण होने तक आवेदक को सम्बन्धित कम्प्यूटर सुविधा केन्द्र, आई०सी०आई० सी०आई० बैंक की शाखा अथवा अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की हैल्प डेस्क पर उपस्थित रहें तथा आवेदन की पावती (Acknowledgement Slip) अपने साथ लेकर जायें। लॉगइन ID व Password अपने पास सुरक्षित रखें।

5.5 आई०सी०आई०सी०आई० बैंक की शाखाएँ :

आई०सी०आई०सी०आई० बैंक की निम्नलिखित शाखाओं से आवेदन फार्म 100 ₹ के नगद भुगतान पर प्राप्त किये जा सकते हैं तथा पूर्ण रूप से ऑनलाइन सबमिट कराये जा सकते हैं—

1. गांधी पार्क, अलीगढ़
2. रामधाट रोड, अलीगढ़
3. मसूदाबाद, अलीगढ़
4. रेलवे स्टेशन रोड, अलीगढ़
5. मैडीकल रोड, अलीगढ़
6. सासनी गेट, अलीगढ़
7. मंजूरगढ़ी, अलीगढ़
8. खैर, अलीगढ़
9. हाथरस शाखा
10. एटा शाखा
11. बुलन्दशहर शाखा
12. खुर्जा शाखा
13. ओमेगा शाखा ग्रेटर नोएडा
14. राजनगर एक्सटेंशन शाखा गाजियाबाद
15. इन्द्रापुरम शाखा गाजियाबाद
16. नोएडा सैक्टर-61 शाखा
17. नोएडा सैक्टर-16 शाखा

5.6 ऑनलाइन आवेदन :

आवेदक शासन द्वारा संचालित वेबसाइट



(www.janhit.upda.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अधूरे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। सम्पत्ति से संबंधित विवरण एवं शर्तों को ऑनलाइन वेबसाइट www.adaaligarh.in पर देखा जा सकता है। बिना पंजीकरण धनराशि के अपलोड किये गये आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिये जायेंगे।

- 5.7** अपूर्ण अथवा गलत भरे गये आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिये जायेंगे। किसी भी सशर्त आवेदन पर विचार न करते हुए आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

6. पंजीकरण राशि एवं आवेदन शुल्क :

- 6.1** पृष्ठ सं^o 10 पर तालिका-01 के कॉलम संख्या-06 व 07 में दर्शायी गई धनराशि का भुगतान आवेदन करते समय ऑनलाइन नेट बैंकिंग, डैबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा कराने होंगे। जो आवेदक उपरोक्तानुसार भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं वे "Aligarh Development Authority (Building Plan Approval)" अथवा अलीगढ़ डिवलपमेंट अथोरिटी (बिल्डिंग प्लान अपूवल)" के नाम वाँछित धनराशि (पंजीकरण राशि + आवेदन शुल्क रु. 400/-) का बैंक ड्राफ्ट आई०सी०आई०सी०आई० की निकटतम शाखा में जमा कराकर ऑनलाइन करना होगा। पंजीकरण राशि के साथ 400 ₹ आवेदन शुल्क तालिका-01 के कॉलम 06 एवं 07 में सम्मिलित है। लाटरी ड्रा में असफल आवेदकों की पंजीकरण धनराशि उसके आवेदन पत्र में उल्लिखित बैंक खाते में बैंक द्वारा सीधे वापस कर दी जायेगी किन्तु आवेदन शुल्क के रूप में जमा 400 ₹ एवं पंजीकरण पुस्तिका का मूल्य 100 ₹ किसी भी दशा में न तो वापिसी योग्य होगा एवं न ही मूल्य में समायोजित किया जायेगा।

6.2 पंजीकरण राशि जमा करने में छूट :

- राज्य सरकार द्वारा घोषित आरक्षण श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित तथा भूतपूर्व केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मी व उनके आश्रित तथा समाज के दिव्यांग व्यक्ति ही पंजीकरण शुल्क की धनराशि में छूट के पात्र हैं। भूखण्ड के मूल्य में किसी भी श्रेणी के आवेदक को मूल्य में छूट दिया जाना सम्भव नहीं है।

- 6.3** इस प्रकार आरक्षित श्रेणी के आवेदक को केवल पंजीकरण के समय ही पंजीकरण राशि में छूट दी गई है। आवंटन के

समय मूल्य की 25% धनराशि पूर्व में जमा धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि पूर्ण रूप से जमा करनी होगी।

6.4 आवंटन प्रक्रिया :

आवंटन "लाटरी ड्रा" के माध्यम से लाटरी ड्रा समिति द्वारा आवेदकों की उपस्थिति में किया जायेगा। आवंटन तिथि की सूचना हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा एवं प्राधिकरण की वेबसाइट पर सूचना प्रदर्शित की जायेगी। पात्र आवेदकों की सूची तैयार कर प्राधिकरण की वेबसाइट पर एवं प्राधिकरण कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जायेगी।

सफल आवेदकों को भूखण्ड के अनुमानित आवंटन मूल्य के 25% अवशेष धनराशि (पूर्व में जमा पंजीकरण धनराशि को समायोजित करते हुए) आवंटन पत्र जारी होने के एक माह के अन्दर जमा करनी होगी। पंजीकरण धनराशि का समायोजन आवंटन की 25% धनराशि में कर लिया जायेगा। पंजीकरण शुल्क के रूप में जमा 400 ₹ एवं पंजीकरण पुस्तिका का मूल्य 100 ₹ का समायोजन योग्य नहीं होगा।

6.5 अवशेष 75 % धनराशि का भुगतान :

आवंटन पत्र जारी होने के उपरान्त विवरण तालिका के कॉलम-9 के अनुसार शेष 75% धनराशि 3 वर्षों में 12 समान त्रैमासिक किश्तों में 12% साधारण ब्याज दर सहित देय होगी। ब्याज को किश्तों में जोड़कर भुगतान शिड्यूल तैयार किया जायेगा। ब्याज की गणना रूपये के निकटतम पूर्णांक में होगी।

किसी भी भूखण्ड/सम्पत्ति के आवंटन के पश्चात् आवंटन की तिथि को भूखण्ड के मूल्य में 10% लीज रेंट व 02% फ्रीहोल्ड चार्ज जोड़ा जायेगा। यदि भूखण्ड कॉर्नर का है तो 10% कॉर्नर चार्ज भी जोड़ा जायेगा। इसके उपरान्त प्राप्त योग भूखण्ड/सम्पत्ति का आवंटन मूल्य होगा।

6.6 किश्तें :

किश्तों का भुगतान आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से तीन माह बाद प्रथम किश्त प्रारम्भ होगी। किश्तों से सम्बन्धित धनराशि नकद/बैंक ड्राफ्ट, जो "ALIGARH DEVELOPMENT AUTHORITY (Building Plan Approval)" अथवा "अलीगढ़ डिवलपमेंट अथोरिटी (बिल्डिंग प्लान अपूवल)" के पक्ष में देय होगा, आई०सी०आई०सी०आई०



बैंक की किसी भी शाखा के कैश काउण्टर पर चालान के माध्यम से जमा कराई जा सकती है। किश्तों के भुगतान हेतु अलग से कोई नोटिस नहीं दिया जायेगा।

- 6.7** किश्तों में आवंटित भूखण्ड के आवंटी यदि कुछ किश्तें जमा करने के बाद यदि एक मुश्त भुगतान करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसी दशा में अवशेष धनराशि पर जमा करने की तिथि तक ही ब्याज की गणना ली जायेगी।

7. दण्ड ब्याज :

यदि अलीगढ़ विकास प्राधिकरण को देय धनराशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है तो 12% वार्षिक ब्याज दर के साथ 03% अतिरिक्त दण्ड ब्याज जोड़कर कुल ब्याज दर निकालते हुए वितर्थ समय (डिफाल्टर पीरियड) पर चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में गणना कर ब्याज धनराशि आवंटी से वसूल की जायेगी। लगातार तीन देय किश्तों का भुगतान न किये जाने की दशा में बिना किसी पूर्व सूचना के आवंटन निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

8. समर्पण / निरस्तीकरण :

- 8.1** आवेदक लाटरी ड्रा से पूर्व कभी भी अपनी जमा पंजीकरण धनराशि वापस ले सकता है। इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

- 8.2** यदि किसी आवेदक द्वारा आवंटित भूखण्ड का समर्पण आवंटन पत्र जोरी होने की तिथि के 6 माह के अन्दर किया जाता है तथा नियम शर्तों का उल्लंघन नहीं करता है, तो उस स्थिति में पंजीकरण राशि की 50% धनराशि कटौती कर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।

- 8.3** आवंटन तिथि के 6 माह के पश्चात किसी भी प्रकार के समर्पण / निरस्तीकरण की दशा में भूखण्ड की कुल पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जायेगी और शेष धनराशि यदि कोई हो तो वह बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।

- 8.4** प्राधिकरण द्वारा अपनी किसी चूक या सम्पत्ति विवादित होने के कारण आवंटी के पक्ष में सम्पत्ति की रजिस्ट्री / कब्जा की कार्यवाही नहीं हो पाती है और यदि ऐसी स्थिति में आवंटी द्वारा अपनी जमा धनराशि वापस लेने की माँग की जाती है तो आवंटी की जमा धनराशि बिना किसी कटौती के 9% साधारण ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी।

9. आय सीमा :

इस योजना में कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है।

क्र० सं०	श्रेणी	कोटा कोड	कोटा
1	अनुसूचित जाति	02	21%
2	अनुसूचित जनजाति	03	2%
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	04	27%
4	रक्षा कार्मिक एवं सरकारी कर्मचारी जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो (प्रकाशन की तिथि तक)		5%
	(क) रक्षा कार्मिक	05	
	(ख) सरकारी कर्मचारी	06	
5	(क) स्वतंत्रता सैनानी	07	
	(ख) संसद सदस्य, विधानसभा / विधान परिषद सदस्य	08	5%
6	(क) उ0प्र0 विकास प्राधिकरण कर्मचारी	09	
	(ख) सिटी बोर्ड कर्मचारी	10	
	(ग) उ0प्र0 नगर निगम / स्थानीय विकाय कर्मचारी	11	
	(घ) उ0प्र0 जल संस्थान कर्मचारी	12	
	(ङ) उ0प्र0 हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी	13	
	(च) उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन के कर्मचारी (उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के वे कर्मचारी सम्मिलित होंगे जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली हो।)	14	
	(छ) आवास बन्धु उ0प्र0 के कर्मचारी (आवास बन्धु के वे कर्मचारी सम्मिलित होंगे जिन्होंने कम से कम 02 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली हो।)	15	2%
7	भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित	16	
		17	3%

दिव्यांग आवेदकों को प्रत्येक श्रेणी के कोटे के अन्तर्गत 03% हॉरिजेन्टल तथा समाज के वरिष्ठ नागरिकों को प्रत्येक श्रेणी के कोटे में 10% हॉरिजेन्टल आरक्षण की सुविधा दी जायेगी। अतः दिव्यांग आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र प्रमाण तथा वरिष्ठ नागरिकों को आयु प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

ओवदन पत्र में आरक्षित कोटा भी भरना आवश्यक है। वरिष्ठ नागरिकों से तात्पर्य यह है कि योजना प्रारम्भ होने की तिथि, जो कि **30.03.2023** है, को आवेदक की आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन पत्र आरक्षित कोटा न भरने पर बाद में इस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

- 10.2** यदि आरक्षित श्रेणियों में आवेदक उपलब्ध नहीं होते हैं तो भूखण्डों का आवंटन सामान्य श्रेणी के आवेदकों को कर दिया जायेगा।



10.3 सामान्य आवेदक :

आरक्षित श्रेणी के आवंटन के पश्चात शेष भूखण्डों का आवंटन सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को कर दिया जायेगा। सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों को अपने आवेदन पत्र में सामान्य श्रेणी अंकित करना होगा।

11. झ्रा प्रक्रिया / आवंटन :

योजना के झ्रा के समय उपस्थित होने के इच्छुक आवेदकों की उपस्थिति में कम्यूटराइज्ड / मैनुअल प्रक्रिया द्वारा लाटरी झ्रा निकालकर भूखण्डों का आवंटन किया जायेगा। लाटरी की तिथि एवं स्थान की सूचना व्यक्ति विशेष को अलग से नहीं दी जायेगी। उक्त सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों में कराया जायेगा। इस संबंध में कोई भी आपत्ति प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी। किसी भी आवेदक द्वारा किसी भूखण्ड विशेष हेतु भी क्लेम स्वीकार नहीं होगा। आवंटन के उपरान्त भूखण्ड संख्या अथवा आवेदक का नाम परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

11.1 योजना हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का प्रारम्भिक जांचोपरान्त आवेदन पत्रों की सूची झ्रौं से पूर्व प्राधिकरण की वेबसाइट पर एवं प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड पर तीन दिन की अवधि के लिये आवेदकों से उक्त सूची में प्रविष्टियों के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति, यदि कोई हो, आमन्त्रित करने हेतु प्रदर्शित की जायेगी। सूची की प्रविष्टियों पर आपत्ति व आवश्यक संशोधन हेतु आवेदक को निर्धारित अवधि में लिखित रूप से आवेदन करना होगा। निर्धारित अवधि के उपरान्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा एवं प्रविष्ट सूची के आधार पर ही अहर्ता संबंधी निर्णय लेकर झ्रा हेतु आवेदकों की सूची तैयार की जायेगी।

11.2 यदि किसी भूखण्ड धारक द्वारा भूखण्ड का उपयोग भवन बनाने के इतर किसी रास्ते आदि के लिये किया जाता है अथवा इससे इतर प्रयोग उद्देश्य से क्रय-विक्रय किया जाता है तो उसका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा मूल्य की 20% धनराशि कटौती करते हुए उसकी शेष जमा धनराशि बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।

11.3 आवेदक / आवंटी की मृत्यु की दशा में :

पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी, जो सभी औपचारिकताएं पूर्ण करता हो, के नाम पंजीकरण हस्तान्तरण किया जायेगा।

11.4 पंजीकृत व्यक्ति को रजिस्ट्री के पूर्व अपने पंजीकरण का

हस्तान्तरण / नामान्तरण का अधिकार नहीं होगा। केवल पंजीकृत व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के खून के रिश्ते के भाई, बहन, माता-पिता, पुत्र व पुत्री को वह हस्तान्तरण / नामान्तरण किया जा सकेगा।

11.5 उप्रो शासन की अधिसूचना सं0-943 / आठ-1-2022-16 रिट / 2018 दिनांक 25.07.2022 उप्रो नगर नियोजन एवं विकास (नामान्तरण प्रभार निर्धारण, उद्घग्गण और संग्रहण) नियमावली, 2022 के अनुसार 'किसी विधिक वारिस के नाम से नामान्तरण किया जा सकेगा। नामान्तरण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 1829 / 8-3-18-187 विविध / 18 दिनांक 06.11.2018 में उल्लिखित निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदक को नामान्तरण हेतु ऑनलाइन WWW.JANHIT.UPDA.IN पर आवेदन करना होगा।

12. असफल आवेदक :

12.1 जिन आवेदकों को लाटरी झ्रा में भूखण्ड आवंटित नहीं हो पाते हैं, ऐसे आवेदकों की जमा धनराशि उनके खाते में, जो खाता संख्या उनके आवेदन फार्म में अंकित है, में बैंक द्वारा सीधे ऑनलाइन ट्रान्सफर कर दी जायेगी। जिनके आवेदन पत्रों में बैंक खाते की सूचना नहीं दी जाती है तो ऐसे आवेदक जमा धनराशि की मूल रसीद संलग्न करते हुए प्रार्थना पत्र कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे। ऐसे आवेदकों को जमा की दिनांक से 01 वर्ष तक कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा 01 वर्ष के पश्चात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक तक 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देय होगा।

12.2 असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी लाटरी झ्रा होने व आवंटन जारी होने के दो माह के पश्चात प्रारम्भ की जायेगी।

12.3 आवेदकों की जमा पंजीकरण धनराशि आवेदक के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर आवेदक के बैंक खाते में आर० टी० जी०एस० / एन०ई०एफ०टी० के माध्यम से वापस की जायेगी।

13. मिथ्या अभ्यावेदन अथवा तथ्यों का छुपाना :

यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सूचनाएं दी गई हैं अथवा उसने किन्हीं वास्तविक तथ्यों को छुपाया है तो पंजीकरण के साथ-साथ भूखण्ड के आवंटन को बिना बताये निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे भविष्य में होने वाले झ्रा से वंचित कर दिया जायेगा एवं पंजीकरण राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

14. विक्रय पद्धति :

भूखण्डों का आवंटन फ्रीहोल्ड के आधार पर किया जायेगा। भूखण्ड के मूल्य का 12% लीज रेट / फ्रीहोल्ड अधिभार एवं भूखण्ड के आवंटन मूल्य में जोड़कर ही मूल धनराशि व



किश्तों का विवरण जारी किया जायेगा।

15. विक्रय के पश्चात्‌वर्ती हस्तान्तरण :

आवंटी द्वारा भूखण्ड की समस्त धनराशि की अदायगी कर दिये जाने और उसके पक्ष में विधिवत् फ्रीहोल्ड रजिस्ट्री हो जाने पर उसे ऐसी सम्पत्ति किसी के पक्ष में बेचने / हस्तान्तरण करने की स्वतंत्रता होगी।

15.1 फ्रीहोल्ड रजिस्ट्री के पश्चात् क्रेता को शर्त संख्या— 11.5 के अनुसार अपने पक्ष में सम्पत्ति का नियमानुसार ऑनलाइन नामान्तरण कराना अनिवार्य होगा।

16. कब्जा :

भूखण्ड का कब्जा विकास कार्य होने पर एवं आवंटी द्वारा कुल मूल्य एवं समस्त देयताएं आदि जमा किये जाने के पश्चात् तथा विक्रय विलेख पंजीयन के बाद दिया जायेगा और कब्जे से पूर्व विक्रय विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया जाना आवश्यक होगा, जिसका व्यय आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

16.1 आवंटी को समय—समय पर लागू होने वाले समस्त स्थूनिसिपल कर, एवं अन्य कर, जो स्थानीय निकाय या शासन द्वारा नियम एवं उपनियम के अन्तर्गत लगाये जाते हैं, का भुगतान स्वयं करना होगा तथा आवंटी को विद्युत कनैक्शन व पानी का कनैक्शन सम्बन्धित विभागों से अपने खर्चे पर स्वयं लेना होगा।

16.2 यदि आवंटी निर्धारित तिथि तक कब्जा नहीं लेता है तो आवंटी को 500 ₹ प्रति माह की दर से चौकीदारी शुल्क देना होगा तथा आवंटी को भूखण्ड की रजिस्ट्री होने की तिथि से 05 वर्ष के अन्दर प्राधिकरण से भवन मानचित्र स्वीकृत कराकर नियमानुसार निर्माण कराना होगा। अन्यथा की स्थिति में आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

17. अनुरक्षण प्रभार :

जब तक प्राधिकरण द्वारा योजना की अवस्थापना सुविधाओं (सड़क, नाली, पार्क, जलापूर्ति, सीवरेज, मार्ग, प्रकाश व्यवस्था) का हस्तान्तरण नगर निगम/उ० प्र० पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नहीं हो जाता, तब तक उनका अनुरक्षण/रख—रखाव अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा तथा इस हेतु निर्धारित अनुरक्षण व्यय आवंटियों से लिया जायेगा।

18. भूखण्डों का प्रयोग :

आवंटी/भूखण्ड स्वामियों द्वारा भूखण्ड का प्रयोग केवल ट्रान्सपोर्ट संबंधी एवं अनुषांगिक व्यवसाय हेतु ही किया जायेगा। ट्रान्सपोर्ट संबंधी व्यवसाय के निम्न मुख्य अंग हैं:

1) ट्रान्सपोर्ट

8) गोदाम

2) ट्रक ऑपरेटर्स

9) ढाबा / रेस्टोरेंट

3) रिपेयर्स शॉप्स

10) होटल

4) स्पेयर पार्ट्स शॉप्स

11) गैस्ट हाउस

5) हॉस्पीटल / नर्सिंग होम

12) जनरेल स्टोर

6) पेट्रोल पम्प फिलिंग स्टेशन

13) सर्विस स्टेशन

7) बैंक

इसके अतिरिक्त जोनिंग रेगुलेशन्स द्वारा अनुमन्य गतिविधि/व्यवसाय किये जा सकेंगे।

18.1 आवेदक द्वारा भूखण्ड पर ट्रान्सपोर्ट से संबंधी/उपरवर्णित व्यवसाय (प्रस्तर—18) ही किया जायेगा तथा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र का प्रारूप पंजीकरण पुस्तिका के साथ संलग्न है।

19. शर्ते एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें :

(1) आवंटन तक इस योजना की किसी भी शर्त में संशोधन का अधिकार उपाध्यक्ष, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़ का होगा तथा ऐसे संशोधन आवेदकों/आवंटी को मान्य होंगे।

तालिका—1 में दर्शाये गये भूखण्डों के क्षेत्रफल में परिवर्तन हो सकता है। योजना के वास्तविक क्रियान्वयन के समय क्षेत्रफल में परिवर्तन सम्भव है, जो कि अन्तिम रूप से बाद में सूचित किया जायेगा, जिसे आवंटी को स्वीकार करना होगा तथा उसके अनुसार भुगतान करना होगा।

(2) भूखण्ड पर कोई भी निर्माण कराये जाने के पूर्व अलीगढ़ विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।

(3) साइट प्लान में भूखण्ड का क्षेत्रफल आवंटित क्षेत्रफल से अधिक होने पर आवंटित क्षेत्रफल के 10% तक आवंटन दर से तथा उससे अतिरिक्त बढ़े हुए क्षेत्रफल पर तत्समय प्रभावी दर लगायी जायेगी।

(4) यद्यपि प्राधिकरण द्वारा भूमि का क्रय भू—धारकों से निगोसियेशन करते हुए उनकी आपसी सहमति के आधार पर निर्धारित किये गये मूल्य पर किया गया है तथापि यदि किसी भी माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिकर की राशि बढ़ाने का आदेश पारित किया जाता है, तो उक्त बढ़ी धनराशि को भूखण्ड के मूल्य में समानुपातिक रूप से सम्मिलित करते हुए आवंटियों से लिया जायेगा।

(5) मानचित्र स्वीकृति, निर्माण आदि से सम्बन्धित किसी भी विवाद की दशा में उपाध्यक्ष, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में केवल अलीगढ़ न्यायालय को ही न्याय क्षेत्र का अधिकार प्राप्त होगा।

उपाध्यक्ष

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण

द्रान्सपर्ट नगर योजना ले-आउट प्लान

30.0 MT. WIDE GREEN BELT AS
PART OF MASTERPLAN

100

10

四庫全書

10





(निम्न तालिका अनुमानित / ऐन्डेटिव है। अनितम / फाइनल तालिका नियोजन / अभियंत्रण अनुभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।)

तालिका नं0-1

क्र. सं.	सम्पत्ति श्रेणी, व्यवसायिक भूखण्डों का प्रकार एवं साइज	भूखण्ड का अनुमानित क्षेत्रफल वर्ग मीटर	भूखण्डों की अनुमानित संख्या	भूखण्डों की दर (प्रति वर्ग मी.)	भूखण्डों का अनुमानित विक्रय मूल्य (₹0—लाख में)	शासनादेश के अनुसार अनुशृंचित जन जाति / अन्य पिछ़ा वर्ग / स्वतंत्रता सेनानी / भूतपूर्व सौनिक व उनके आश्रित तथा समाज के दिव्यां व्यक्तियों के लिए 05%+400/-	पंजी. राशि+आवेदन शुल्क रु.-400 /—सहित अन्य सभी आवेदकों हेतु 10%+400/-	भुगतान का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Type-A (25x50)	1250.00	27		200.00	₹0 10.00 लाख+₹ 400	20.00 लाख+400	1— आवंटन पत्र जारी होने के उपरान्त मूल्य की 25% धनराशि 01 माह के अन्दर ³ जमा करनी होगी, जिसमें जमा पंजी करण धनराशि का समायोजन कर लिया जायेगा।
2	Type-B (25x40)	1000.00	21		160.00	₹0 8.00 लाख+₹ 400	16.00 लाख+400	
3	Type-C (20x40)	800.00	14		128.00	₹0 6.40 लाख+₹ 400	12.80 लाख+400	
4	Type-E (14x28)	392.00	07		62.72	₹0 3.14 लाख+₹ 400	6.28 लाख+400	
5	Type-F (15x25)	375.00	201		60.00	₹0 3.00 लाख+₹ 400	6.00 लाख+400	
6	Type-G (10x20)	200.00	402	16,000	32.00	₹0 1.60 लाख+₹ 400	3.20 लाख+400	2— अवशेष 75% धनराशि 3 वर्षों में अर्थात् 12 समान तिमाही किसर्तों में 12% साधारण वार्षिक की ब्याज दर सहित भुगतान करना होगा।
7	Type-H (9x18)	162.00	94		25.92	1.30 लाख+400	2.60 लाख+400	
8	Type-I (8x16)	128.00	151		20.48	1.03 लाख+400	2.05 लाख+400	
9	Type-J (7.5x15)	112.50	156		18.00	0.90 लाख+400	1.80 लाख+400	
10	Type-K (6x12)	72.00	557		11.52	0.58 लाख+400	1.16 लाख+400	

नोट : भूखण्डों की संख्या में लाठी झा के समय तक कभी अथवा वृद्धि हो सकती है, जिस पर किसी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा ।





ऑफलाइन आवेदन पत्र सूचनाएं भरने के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त

1. आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र में कोड 1,2,3,4,5,6 आदि भरने के लिये भारतीय संख्याओं के अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग किया जाना चाहिये। केवल इस प्रकार भरे हुए कोड नम्बर को ही लेखे में लिया जायेगा।
2. फार्मों को केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही भरा जाना चाहिये तथापि उस पर हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते हैं।
3. आरक्षण श्रेणी के कोड नम्बर स्कीम ब्रोशर में दिये गये हैं।
4. आवंटी द्वारा भविष्य में किये जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र संख्या, योजना कोड एवं सम्पत्ति श्रेणी अवश्य लिखना चाहिये।
5. डाक पते में किसी भी परिवर्तन की सूचना अलीगढ़ विकास प्राधिकरण को तत्काल दी जानी चाहिये।
6. आवेदन पत्र भरने के लिये मदवार व्यौरा नीचे दिया गया है।
 - 6.1 **मद-4** में जन्म तिथि व आयु वर्षों में लिखें।
 - 6.2 **मद संख्या-06** सम्पत्ति श्रेणी एवं टाइप संलग्न तालिका संख्या-1 के कॉलम संख्या-02 में लिखे अनुसार भरें।
केवल एक प्रकार की सम्पत्ति व उसकी श्रेणी, टाइप जिसे आप भरने के इच्छुक हों, का भरें।
 - 6.3 **मद-8** : कोटा कोड : जैसा कि अनुच्छेद 10.1 में विवरण दिया गया है कुछ श्रेणी को आरक्षण सुविधा दी गई है। आवेदक अपनी श्रेणी के सामने (✓) का निशान लगायें। यदि आप एक से अधिक आरक्षित वर्ग से संबंधित श्रेणी में आते हों तो केवल उसी श्रेणी के सामने (✓) निशान लगायें, जिस श्रेणी में आप रहना चाहते हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है कोटा के विरुद्ध आवेदन करने हेतु समुचित प्रमाण पत्र संलग्न करें अन्यथा आपका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा एवं ड्रा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
 - (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/स्वतन्त्रा सैनानी एवं दिव्यांग के आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिये।

नोट : यह मार्गदर्शिका ऑनलाइन आवेदन हेतु सूचनाएं एकत्रित करने के लिये है। ऑफलाइन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ही हेत्य डेस्क, कम्प्यूटर सुविधा केन्द्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। सीधे ऑनलाइन आवेदन करने वाले व्यक्तियों के लिये ऑफलाइन फार्म भरना आवश्यक नहीं है।



योजना कोड : TPN-1001

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़। ट्रान्सपोर्ट नगर भूखण्डों की योजना आवेदन पत्र APPLICATION FORM

पासपोर्ट
साइज़
फोटो

1. आवेदक का नाम श्री/श्रीमती/कु0.....
 2. आवेदक के पिता/पति/पुत्र/पुत्री का नाम.....
 3. पतापिन कोड.....
 4. आवेदक की जन्म तिथि एवं आयु.....आवेदक का व्यवसाय.....
 5. यदि कहीं सेवा में है तो पद एवं पता.....
 6. निम्नलिखित में से जिस श्रेणी का भूखण्ड लेना चाहते हैं, उसके सामने टाइप/क्षेत्रफल व सही का (✓) निशान लगा दें।
उच्च आय वर्ग टाइप..... क्षेत्रों () मध्यम आय वर्ग टाइप..... श्रेणी क्षेत्रों ()
अल्प आय वर्ग टाइप..... क्षेत्रों ()
 7. निम्नलिखित में से जिस विकल्प द्वारा भूखण्ड के मूल्य का भुगतान करना चाहते हैं उसके सामने सही का चिन्ह (✓) लगा दें।
(क) किश्तों पर () (ख) एक-मुश्त भुगतान ()
 8. क्या निम्न में से किसी आरक्षण श्रेणी में आते हैं, यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें तथा उसके सामने सही का चिन्ह लगाएं (✓) :-
क. अनुसूचित जाति () ख. अनुसूचित जनजाति ()
ग. अन्य पिछड़ा वर्ग () घ. विधायक/सांसद/स्वतंत्रता संग्राम सैनानी ()
ड. सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी, जो पचास वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। ()
प्रमाण पत्र संलग्न करें।
च. रक्षा कार्मिक एवं सरकारी कर्मचारी () छ. उठोप्रो विकास प्राधिकरण/सिटी बोर्ड/जलनिगम/जल संस्थान/स्थानीय निकाय/हाउसिंग बोर्ड/नगर एवं ग्रम नियोजन/आवास बन्धु के कर्मचारी ()
ज. भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित () झ. दिव्यांग () ज. वरिष्ठ नागरिक ()
आरक्षण श्रेणी..... कोटा कोड : [] लिंग : []
 9. बैंक ड्राफट द्वारा जमा धनराशि का विवरण
(सूचना भरा जाना आवश्यक है)
(क) अंकों में रु0.....
(ख) शब्दों में रु0.....
(ग) बैंक ड्राफट सं0..... दिनांक..... धनराशि.....
(घ) बैंक ड्राफट जारी करने वाली बैंक का नाम.....
 10. आवेदन पत्र जमा किये जाने वाली ICICI बैंक की शाखा का नाम.....
 11. आवेदक का बैंक खाता सं0..... बैंक का नाम..... आई.एफ.एस.सी कोड.....
 12. विवाहित की स्थिति में (विवाहित/अविवाहित) []
(अ) (विवाहित स्थिति में) पत्नी का नाम..... आधार सं0.....
 13. नामिती
(अ) नाम व पता..... दूरभाष नं0.....
(ब) नामिती से सम्बन्ध.....
- AADHAAR No. PAN No.
- मैं एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ मैंने पंजीकरण सम्बन्धी सभी नियम एवं शर्तों को पढ़ लिया है और समझ लिया है, मैं उसका पालन करूँगा/करूँगी।
- दूरभाष नं0..... मोबाइल नं0.....
- आवेदक के हस्ताक्षर
- दिनांक.....
- आवेदक का पूरा नाम.....

नियोजित शहर-हमारा लक्ष्य



घोषणा पत्र DECLARATION



- मैं/हम घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की ट्रान्सपोर्ट नगर योजना से संबंधित नियमों एवं शर्तों को पढ़ लिया है एवं मैं/हम उनका पालन करुंगा/करुंगी/करेंगे।
- यदि मैं/हम बिक्री के लिये भूखण्ड का आवंटन स्वीकार नहीं करता हूँ/करती हूँ/करते हैं तब मैं/हम अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा नियमों के अधीन की गई कटौतियों को स्वीकार करुंगा/करुंगी/करेंगे।
- अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित किया गया भूखण्ड मुझे/हमें प्रत्येक परिस्थितियों में स्वीकार होगा तथा मुझे/हमें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।
- मैं/हम सहमत हैं कि अलीगढ़ विकास प्राधिकरण एवं आवेदक के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद के निपटाने का क्षेत्राधिकार अलीगढ़ न्यायालय का होगा एवं अन्य किसी भी न्यायालय का क्षेत्राधिकार मान्य नहीं होगा।
- अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्ड पर नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराकर ही निर्धारित व्यवसाय करुंगा/करुंगी/करेंगे।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर





अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़

शपथ-पत्र

समक्ष— उपाध्यक्ष, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़।

(रु.-10/- के जुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

नोटरी द्वारा
प्रमाणित
फोटो

शपथकर्ता का नाम श्री / श्रीमती / पिता / पति का नाम.....
पूर्ण पता.....
आयु..... मैं शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता / करती हूँ।

1. मैंने अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़ के अन्तर्गत योजना का नाम.....हेतु पंजीकरण आवेदन पत्र सं0.....(सम्पत्ति का विवरण).....दिनांक.....को प्रस्तुत किया है व रु0.....पंजीकरण धनराशि जमा करायी है, जिसके तारतम्य में यह शपथ—पत्र प्रेषित कर रहा / रही हूँ।
 2. मैं बालिग हूँ तथा मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है।
 3. मेरे या मेरे पति / मेरी पत्नी तथा अवयस्क बच्चों के पास नगर में विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, इम्फूवमेन्ट ट्रस्ट किसी स्थानीय निकाय, सहकारी आवास समिति आदि द्वारा विकसित किसी आवासीय कालोनी में कोई भूखण्ड नहीं है तथा उत्तर प्रदेश एवं अन्य प्रदेश के किसी नगर / शहरी क्षेत्र की विकसित कालोनियों में एक से अधिक भूखण्ड नहीं है।
 4. मैंने पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ दी गई पुरितिका में उल्लिखित नियमों / शर्तों, दशाओं, विशेष सूचनाओं, परिभाषाओं को स्पष्ट समझ लिया है तथा मैं इनके पालन करने का वचन देता / देती हूँ।
 5. आबंटित भूखण्ड / भूखण्ड के कब्जा देने में यदि भूमि अर्जन संबंधी अथवा अन्य न्यायिक प्रक्रिया के कारण, या ठेकेदारों द्वारा ठेके में निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न करने के कारण, अथवा किसी अपरिहार्य कारण से देरी होती है तो मुझे इस बिन्दु के आधार पर क्षतिपूर्ति की माँग करने का अधिकार नहीं होगा।
 6. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयताओं का भुगतान करूँगा / करूँगी। यदि मेरे द्वारा भुगतान में कोई बिलम्ब किया जाता है एवं प्राधिकरण उक्त कारण से मेरा / हमारा आबंटन निरस्त करता है तो मुझे / हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
 7. मैं / हम आबंटित भूखण्ड का प्रयोग प्रस्तर सं0—18 में उल्लिखित व्यवसाय हेतु ही करेंगे।
 8. मैं / हम आवंटित भूखण्ड का किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य सम्पत्ति के लिये रास्ते हेतु प्रयोग नहीं करेंगे एवं न ही इस उददेश्य हेतु अन्य किसी को विक्रय करेंगे। इस नियम में उल्लंघन की दशा में आवेदक भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा, जो कि मुझे / हमें मान्य होगा।
 9. यह कि मैं / हम, जिस भूखण्ड के लिये आवेदन कर रहे हैं, उसके मूल्य का भुगतान न नगद / किशत पद्धति पर समयानुसार करने में सक्षम हैं।
 10. माननीय न्यायालय / शासन / प्राधिकरण द्वारा जो भी निर्देश समय समय पर दिये जायेंगे मैं उनका पालन करूँगा / करूँगी। मैं / हम आवंटन की सभी शर्तों का पालन करूँगा / करेंगे। यदि मेरे / हमारे द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि मेरा / हमारा आवंटन निरस्त कर दें, जमा धनराशि के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करें। शपथ पत्र में दिये गये सभी तथ्य सत्य हैं। कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा :— मैं एतद्वारा शपथपूर्वक बयान करता / करती हूँ कि मेरे उपर्युक्त क्रमांक 01 से 08 तक दी गई सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य हैं और कछ भी छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नियोजित शहर-हमारा लक्ष्य



YAMUNA EXPRESSWAY



JEWAR AIRPORT





अलीगढ़ विकास प्राधिकरण रामघाट रोड, अलीगढ़

नियोनित शहर-हमारा लक्ष्य

Website : www.adaaligarh.in

E-mail ID : ada1981@rediffmail.com

Mobile : 8449708903, 8077688158

Phone : 0571-2740682

Partner Bank :

